उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-15 /2021/181/22-4-2021-48(13)/2020

लखनऊ : दिनांक- 08 फरवरी, 2021

शुद्धि पत्र

जिला कारागार, बांदा में टाइप-2 के 06 नग आवासों के निर्माण कराये जाने हेतु रू0 89.01 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु रू0 44,50,000/- की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-07/2021/1044/22-4-2021-48(13)/2020, दिनांक-20.01.2021 में अंकित "लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-रिहायशी भवन-700-अन्य व्यय-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के स्थान पर "लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक- 20 जनवरी, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2021 /181(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, बांदा।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in